कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 152/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

- **जानलेवा हमले के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **त्रिदेव ग्रुप प्लॉटिंग विवाद में मारपीट/पथराव, पुलिस की त्वरित कार्रवाई**

पूर्व की घटना—

दिनांक 19.04.2026 को थाना मुबारकपुर पर वादी उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में त्रिदेव ग्रुप प्लॉटिंग (ग्राम सठियांव) में हिस्सेदारी/निवेश के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज, मारपीट एवं जानलेवा हमला हुआ, जिसमें लाठी-डंडा व ईंट-पत्थर से प्रहार किए गए तथा प्रथम पक्ष के सत्यनन्द चौबे व विकास चौबे निवासी जनपद मऊ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सदर अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण—

प्रकरण की विवेचना के क्रम में दिनांक 20.04.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी जा रही थी। सूचना पर बनवारी मोड़ अंडरपास के पास से अभियुक्त अनुपम सिंह पुत्र सदानंद सिंह निवासी नसिरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष को समय 02:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-अनुपम सिंह पुत्र सदानंद सिंह निवासी नसिरुद्दीनपुर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, उ0नि0 नीरज कुमार शुक्ला, उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय थाना मुबारकपुर पुलिस टीम।

प्रेस-विज्ञप्ति, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 20.04.2026

- **रंगदारी वसूली व जानलेवा हमले में संलिप्त हिस्ट्रीशीटर गैंग के 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पुलिस की त्वरित कार्रवाई, उचहुवा-बघरा मार्ग से दबोचे गए आरोपी**

जनपद आजमगढ़ के थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत वादी निसार अहमद पुत्र मंजूर अहमद निवासी ऊचहुवाँ द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 19.04.2026 को समय करीब 07:00 बजे अभियुक्तगण द्वारा ऊचहुवाँ बाजार में पहुंचकर वादी से

₹10,000 व एक पेटी बीयर की रंगदारी की मांग की गई। विरोध करने पर वादी के साथ गाली-गलौज, मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुँचाया गया।
उक्त प्रकरण में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 72/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/308(4)/324(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 शिवम द्विवेदी द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण—

दिनांक 20.04.2026 को थाना तरवां पुलिस टीम द्वारा उचहुवा-बघरा मार्ग स्थित विरनईया मोड़ से समय 08:05 बजे अभियुक्तगण (1) गंगा यादव उर्फ सिवबालक यादव, (2) विनोद यादव, (3) संतोष यादव निवासीगण ग्राम बघरा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ तथा (4) वीरेंद्र यादव निवासी ग्राम घटारो थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. गंगा यादव उर्फ सिवबालक यादव पुत्र भगवान दास, निवासी ग्राम बघरा थाना तरवां, उम्र करीब 38 वर्ष।
2. विनोद यादव पुत्र अलगु यादव, निवासी ग्राम बघरा थाना तरवां, उम्र करीब 30 वर्ष।
3. संतोष यादव पुत्र लालमुनी यादव, निवासी ग्राम बघरा थाना तरवां, उम्र करीब 24 वर्ष।
4. वीरेंद्र यादव पुत्र नन्हकु यादव, निवासी ग्राम घटारो थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 53 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 72/26 धारा 3(5)/115(2)/352/351(3)/308(4)/324(4) बीएनएस, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास—

- अभियुक्त गंगा यादव उर्फ सिवबालक यादव के विरुद्ध हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित लगभग 16 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं।
- अभियुक्त वीरेंद्र यादव के विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट सहित कई गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं।
- अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी पूर्व में आपराधिक मामले दर्ज हैं।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 शिवम द्विवेदी, का0 दीपक यादव, का0 उपेन्द्र यादव, का0 अजय सिंह, का0 विपिन यादव, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 20.04.2026

• जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

जनपद आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 19.04.2026 को त्रिदेव ग्रुप प्लॉटिंग (ग्राम सठियांव) में हिस्सेदारी/निवेश के विवाद को लेकर दो पक्षों के मध्य गाली-गलौज एवं मारपीट की घटना हुई, जो उग्र होकर जानलेवा हमले में परिवर्तित हो गई। घटना में दोनों पक्षों द्वारा लाठी-डंडा व ईंट-पत्थर से एक-दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें सत्यनन्द चौबे व विकास चौबे निवासीगण जनपद मऊ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सदर अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा है। इसी दौरान अभियुक्त कमलेश्वर दूबे द्वारा अवैध असलहा निकालकर विपक्षी पक्ष पर जान से मारने की नीयत से तान दिया गया। उक्त प्रकरण में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।
विवेचना के क्रम में दिनांक 20.04.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम दामोदरपुर मोड़ के पास घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त कमलेश्वर दूबे उर्फ गोलू पुत्र अरुण दूबे निवासी ग्राम दामोदरपुर गजहड़ा थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को समय 04:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी—

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है तथा रंजिशवश उक्त असलहा अपने पास रखता था। घटना के दिन उसी तमंचे से विपक्षी पक्ष को जान से मारने की नीयत से धमकाया था।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 146/26 धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3), 125 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट, थाना मुबारकपुर।
2. मु0अ0सं0 147/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुबारकपुर।

अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय थाना मुबारकपुर पुलिस टीम।